अंतर्लिंगी[1] (इंटरसेक्स)

'अंतर्लिंगी' से क्या तात्पर्य है?

'अंतर्लिंगी' व्यक्ति लिंग विशेषताओं (गुप्तांगों, यौनांग और गुणसूत्र पैटर्न सहित) के साथ पैदा होते हैं जो पुरुष या महिला निकायों जैसी द्विआधारी धारणाओं के साथ मेल नहीं रखते हैं।

'अंतर्लिंगी'-एक व्यापक पारिभाषिक शब्द है जिसका उपयोग प्राकृतिक और शारीरिक बदलावों की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कुछ मामलों में, अंतर्लिंगी होने के लक्षण जन्म के समय दिखाई देते हैं जबकि अन्य, वे यौवनारम्भ तक स्पष्ट नहीं होते हैं। कुछ गुणसूत्र अंतर्लिंगी भिन्नताएं शारीरिक रूप से कदापि स्पष्ट नहीं हो सकती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, जनसंख्या में 0.05% से 1.7% व्यक्ति अंतर्लिंगी होने के लक्षण के साथ पैदा होते हैं - ये अनुमान लाल बालों वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है।

अंतर्लिंगी होना जैविक लिंग विशेषताओं से संबंधित है और यह एक व्यक्ति की यौन अभिसंस्करण या लिंग पहचान से अलग है। एक अंतर्लिंगी व्यक्ति समलैंगिक पुरूष, समलैंगिक स्त्री, उभयलिंगी या अलैंगिक हो सकते हैं, और महिला, पुरुष, दोनों या किसी भी रूप में हो सकते हैं।

क्योंकि उनका शरीर अलग रूप में दिखता है, अंतर्लिंगी बच्चों और वयस्कों को प्रायः निन्दित किया जाता है, और कई मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जिसमे, स्वास्थ्य और शारीरिक संपूर्णता, यातना और दुर्व्यवहार से परे रहना, और समानता और गैर-भेदभाव से मुक्त होना, यह सभी के लिए उनके अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।

शारीरिक संपूर्णता

अंतर्लिंगी बच्चों को अपने रूप को द्विआधारी लिंग के अनुरूप बनाने की कोशिश में उन पर अनावश्यक शल्यचिकित्सा और अन्य प्रक्रिया करना आम बात हो गई है।

यह अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं निराशा सहित स्थायी वन्ध्यत्व, पीड़ा, असंयम, यौन संवेदना की हानि और आजीवन मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती हैं।

ये प्रक्रियाएँ शारीरिक संपूर्णता, यातना और दुष्प्रचार से मुक्त होना, और हानिकारक प्रथाओं से मुक्त रहना इनके लिए उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती हैं, क्योंकि संबंधित व्यक्ति प्राय: निर्णयन हेतु अल्पवयस्क होने के कारण, पूर्ण, स्वतंत्र और सहमति के बिना ही नियमित रूप से यह प्रक्रियां की जाती है।

इस तरह की प्रक्रियाओं को प्राय: सांस्कृतिक और लैंगिक मानदंडों और अंतर्लिंगी व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण मान्यताओं और समाज में उनके एकीकरण के आधार पर उचित ठहराया जाता है।

भेदभावपूर्ण व्यवहार कभी भी मानव अधिकारों के उल्लंघन को सही नहीं ठहराया जा सकता है, जिसमें जबरदस्ती उपचार और शारीरिक संपूर्णता के अधिकार का उल्लंघन शामिल है। राज्यों का कर्तव्य है कि वे हानिकारक प्रथाओं और भेदभाव को समर्थन करने की बजाय उनका प्रतिरोध करें। कथित स्वास्थ्य लाभ के आधार पर ऐसी प्रक्रियाओं को कभी-कभी उचित भी ठहराया जा सकता है, लेकिन ये प्राय: दुर्बल प्रमाण के आधार पर और वैकल्पिक समाधानों पर चर्चा किए बिना प्रस्तावित होते हैं जो शारीरिक संपूर्णता की रक्षा करते हैं और स्वायत्तता का सम्मान करते हैं।

[1] भारतीय संदर्भ में, लिंग भिन्न समुदायों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। इस दस्तावेज़ के उद्देश्य के लिए, अंतर्लिंगी शब्द का उपयोग किया गया है। इस शब्द के अलावा, कई अन्य शब्द जैसे कि क्लिबा, मध्यलिंगी आदि का भी उपयोग किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश, डॉक्टरों, साथ ही साथ इंटरसेक्स बच्चों के माता-पिता, जो आवश्यकता या तात्कालिकता के ऐसी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित और / या अपना अनुमोदन दे सकते हैं, और इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी प्रक्रियाएं मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन कर सकती हैं, उनके द्वारा ऐसी मान्यताएं और सामाजिक दबाव प्राय: परिलक्षित होते हैं।

इस तरह की शल्यचिकित्सा के छोटे और दीर्घकालिक परिणामों तथा अंतर्लिंगी वयस्कों और उनके परिवार सहित समवयस्कों के साथ संपर्क की कमी के अभाव में प्राय: यह अनुमोदन दिया जाता है।

बचपन के दौरान इस तरह की सर्जरी से गुजरे हुए अंतर्लिंगी वयस्कों ने अपने लक्षणों को मिटाने के प्रयासों से संबंधित शर्म और कलंक पर जोर देने, और साथ ही साथ व्यापक और दर्दनाक घाव के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक पीड़ा होने के बावजूद इस तरह की शल्यचिकित्सा को भी सामने जाते है। कई व्यक्ति यह भी सोचते हैं कि उन्हें सेक्स और लिंग श्रेणियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था जो उनके लिए उचित नहीं थी।

उनकी अपरिवर्तनीय प्रकृति और शारीरिक संपूर्णता और स्वायत्तता पर प्रभाव को देखते हुए, इस तरह के अनावश्यक, अवांछित शल्यचिकित्सा या चिकित्सकीय उपचार को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अंतर्लिंगी बच्चों और उनके परिवारों तथा उनके संबंधियों से पर्याप्त परामर्श और समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

भेदभाव

अंतर्लिंगी व्यक्तियों के साथ अक्सर भेदभाव और दुर्व्यवहार किया जाता है यदि यह ज्ञात हो जाता है कि वे अंतर्लिंगी हैं या अगर उन्हें लिंग मानदंडों के अनुरूप नहीं माना जाता है। भेदभाव विरोधी कानून प्राय: अंतर्लिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सार्वजनिक सेवाओं, रोजगार और खेल में भेदभावपूर्ण प्रथाओं के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

अंतर्लिंगी व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, और शारीरिक संपूर्णता और स्वास्थ्य के लिए अंतर्लिंगी व्यक्तियों की स्वायत्तता और अधिकारों का सम्मान करना, इन सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों को प्रायः आवश्यक प्रशिक्षण, ज्ञान और समझ की कमी होती है।

यदि अंतर्लिंगी व्यक्तियों व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र और आधिकारिक दस्तावेजों पर लिंग विषयक संशोधित करना चाहते हैं या करने की आवश्यकता है, तो कुछ अंतर्लिंगी व्यक्तियों को बाधाओं और भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है।

अंतर्लिंगी एथलीटों को भी बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है । महिला अंतर्लिंगी खिलाड़ीयों के कई मामले सामने आए हैं जिन्हें उनके अंतर्लिंगी लक्षणों के आधार पर खेल प्रतियोगिताओं से अयोग्य घोषित किया गया है। इंटरसेक्स होना बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित नहीं करता है। हालांकि, अन्य शारीरिक विविधताएं जैसे ऊंचाई और मांसपेशियों का विकास जो प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, उन्हें किसी भी जाँच में जाने के लिए नहीं कहा जाता है।

संरक्षण और उपाय

अंतर्लिंगी व्यक्तियों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाया जाना चाहिए। जब कभी इस तरह के उल्लंघन होते हैं, तो उनकी जांच की जानी चाहिए और कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। पीड़ितों के पास एक प्रभावी उपाय की पहुंच होनी चाहिए, जिसमें निवारण और क्षतिपूर्ति शामिल है।

अंतर्लिंगी व्यक्तियों से कानून और नीतियों के विकास में सलाह ली जानी चाहिए जो उनके अधिकारों पर प्रभाव डालती हैं।

सकारात्मक घटनाक्रम

वर्ष 2013 में, ऑस्ट्रेलिया ने भेदभाव के एकमात्र निषिद्ध के रूप में अंतर्लिंगी व्यक्तियों को शामिल करने वाला पहला कानून - लैंगिक भेदभाव संशोधित (यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान और आंतरिक स्थिति) अधिनियम को अपनाया। आस्ट्रेलिया के सीनेट ने भी अंतर्लिंगी व्यक्तियों की अनैच्छिक या ज़बरदस्त नसबंदी की आधिकारिक जाँच की है।

वर्ष 2015 में, माल्टा ने व्यक्त सहमति के बिना नाबालिगों की लिंग विशेषताओं पर सर्जरी और उपचार को प्रतिबंधित करने वाला पहला कानून - लिंग पहचान, लिंग अभिव्यक्ति एवं लिंग अभिलक्षण अधिनियम को अपनाया। यह लिंग विशेषताओं के आधार पर भेदभाव को भी रोकता है।

22 अप्रैल 2019 को भारत में मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै बेंच) ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और गोपी शंकर मदुरै के कार्यों के आधार पर अंतर्लिंगी शिशुओं पर सेक्स-सेलेक्टिव सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया। कोर्ट ने अंतर्लिंगी शिशुओं और बच्चों पर की जाने वाली सेक्स चयनात्मक सर्जरी का संज्ञान लेते हुए निर्देश पारित किए। 13 अगस्त 2019 को तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें अंतर्लिंगी शिशुओं और बच्चों पर होने वाली सभी प्रकार की चयनात्मक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाया गया।

कार्रवाई के बिंदु

• अंतर्लिंगी बच्चों की लिंग विशेषताओं पर चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक सर्जरी और प्रक्रियाओं को रोका जाये, उनकी शारीरिक संपूर्णता की रक्षा हो और उनकी स्वायत्तता का सम्मान हो।

• अंतर्लिंगी व्यक्तियों और उनके परिवारों को साथियों से पर्याप्त परामर्श और समर्थन प्राप्त होता है, यह सुनिश्चित किया जाये।

• शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल और सार्वजनिक सेवा पाने के लिये, अंतर्लिंगी लक्षणों, विशेषताओं या स्थिति के आधार पर भेदभाव को रोका जाये और प्रासंगिक भेदभाव-विरोधी पहल के माध्यम से इस तरह के भेदभाव को समाप्त किया जाये।

• सुनिश्चित करें कि अंतर्लिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच हो और कथित अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाये और इस तरह के उल्लंघन के पीड़ितों के लिए एक प्रभावी उपाय की पहुंच होती हो जिसमें निवारण और मुआवजा शामिल हो।

• राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों को अंतर्लिंगी व्यक्तियों के मानवाधिकारों की स्थिति पर शोध और निगरानी करनी चाहिए।

• अंतर्लिंगी व्यक्तियों के जन्म प्रमाण पत्र और आधिकारिक दस्तावेजों पर लिंग प्रमाणकों को संशोधित करने के लिए सुगम प्रक्रियाओं के लिए कानून बनाएं जाये।

• स्वास्थ्य कर्मियों को अंतर्लिंगी व्यक्तियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मानवाधिकारों पर ऐसा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जो अंतर्लिंगी व्यक्ति की स्वायत्तता, शारीरिक संपूर्णता, और लिंग विशेषताओं को प्रधानता दें। इस तरह से वे अंतर्लिंगी बच्चो के माता-पिता को सही सलाह दे पाएंगे।

• सुनिश्चित करें कि न्यायपालिका, आप्रवास अधिकारियों, कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, और अन्य अधिकारियों और कर्मियों के सदस्यों को सम्मान और अंतर्लिंगी व्यक्तियों को समान उपचार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाये।

• सुनिश्चित करें कि अंतर्लिंगी व्यक्तियों और संगठनों से परामर्श और अनुसंधान, कानून, और नीतियों के विकास में भाग लें जो उनके अधिकारों पर प्रभाव डालते हैं।

प्रसार माध्यम:

• समाचार पत्र, टीवी और रेडियो कवरेज में अंतर्लिंगी व्यक्तियों और समूहों के प्रतिनिधित्व को शामिल करें।

• अंतर्लिंगी व्यक्तियों और उनके मानवाधिकारों की चिंताओं का एक उद्देश्यपूर्ण और संतुलित चित्र प्रदान करे।

• अंतर्लिंगी व्यक्तियों के यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के बारे में धारणाएं प्रस्थापित ना करे।

आप, आपके मित्र और अन्य व्यक्ति भी बदलाव ला सकते हैं:

• अंतर्लिंगी व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेदभाव या हिंसा देखने पर अपनी आवाज उठाये।

• याद रखें कि अंतर्लिंगी व्यक्तियों के पास किसी भी यौन अभिविन्यास और लिंग की पहचान हो सकती है।

अभिरोक्ति- संयुक्त राष्ट्र तथ्य-पत्र
यूएन इन्टरसेक्स फैक्टशीट एशियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट को इंटेक्स एशिया द्वारा शुरू किया गया है और आरएफएसएल द्वारा प्रायोजित है।
इंटेक्स एशिया गोपी शंकर मदुरई, कार्यकारी निदेशक-सृष्टि मदुरई और प्रशांत सिंह, एडवोकेट, सर्वोच्च न्यायालय, भारत को उनके इनपुट, संपादन और अनुवाद समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता है।

इस अनुवाद परियोजना को सक्षम करने के लिए, हम संयुक्त राष्ट्र मुक्त और समान अभियान और OHCHR के आभारी हैं। इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी मूल संस्करण का हिंदी में अनौपचारिक रूप से अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले माध्यलिंगी कार्यकर्ताओं ने इस अनुवाद की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र इस अनौपचारिक अनुवाद की सटीकता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

Produced by: intersex Asia

Source: UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER; FREE & EQUAL UNITED NATIONS

Our Sponsors: RFSL; Astraea; mama cash

Allies: OII-Chinese